भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1438 का उत्तर

आरएलडीए द्वारा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की संख्या

1438. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरएलडीए को पुनर्विकास हेतु सौंपे गए स्टेशनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या शेष स्टेशनों के लिए कोई समय-सीमा और बजट आवंटन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी स्टेशन को पुनर्विकास के लिए प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

आरएलडीए द्वारा पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की संख्या के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री विष्णु दयाल राम के अतारांकित प्रश्न सं. 1438 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को सौंपे गए तीन रेलवे स्टेशनों यथा रानी कमलापति, भोपाल; गांधीनगर (कैपिटल) और गोमती नगर लखनऊ (चरण-I) के पुनर्विकास का कार्य पूरा हो चुका है और कमीशन कर दिया गया है।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग की स्वीकृति, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है और विभिन्न स्टेशनों के भिन्न-भिन्न परियोजना तय किए जाते हैं, अतः, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों का आबंटन सामान्यतः योजना शीर्ष - 53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/केंद्र शासित प्रदेश-वार या स्टेशन-वार। आरएलडीए को सौंपे गए शेष रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और बजट 2024-25 में इन रेलवे जोनों को योजना शीर्ष-53 के तहत 8119.57 करोड़ रुपये की कुल निधि का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास सतत् एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस संबंध में कार्य आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास के लिए कार्यों को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निम्न कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

****

S.K